रियायती किरायों का विवरण - घरेलू

- सभी छूट इकोनॉमी श्रेणी से यात्रा पर लागू होंगी, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया जाए।
- सभी छूट केवल किराया घटक पर लागू होंगी।
- सभी कर व शुल्क पूरे लिए जाएंगे।
- कम से कम 7 दिनों की एडवांस खरीद अपेक्षित।
- सीट उपलब्धता के आधार पर
- तिथि/उड़ान परिवर्तन, रद्दकरण व धनवापसी : अनुमति -शुल्क लागू

क्र.सं.	रियायत	शर्तें
1.	सशस्त्र बलों को प्राप्त छूट (MIL50) बुकिंग श्रेणी “L” से “K”	50% छूट, अपने खर्च पर यात्रा कर रहे भारतीय सशस्त्र सेनाओं (थल, जल व वायु सेना) में कार्यरत सैन्य कर्मी तथा उनके परिवार के सदस्यों को दी जाती है। परिवार में पति/पत्नी, आश्रित माता-पिता तथा 12 से 26 वर्ष तक की आयु के आश्रित बच्चे सम्मिलित हैं। टिकट पर सशस्त्र बलों के कर्मियों के पहचान-पत्र नं. तथा उनके आश्रितों के पहचान-पत्र नं. दर्शाए जाएंगे। इस छूट पर यात्रा कर रहे यात्रियों के पहचान-पत्र का सत्यापन बोर्डिंग प्वाइंट पर किया जाएगा।
2.	जनरल रिज़र्व इंजीनियरिंग फोर्स के कार्मिकों को प्राप्त छूट (GML50) बुकिंग श्रेणी “L” से “K”	50% छूट, अपने खर्च पर यात्रा कर रहे जनरल रिज़र्व इंजीनियरिंग फोर्स में कार्यरत कर्मी तथा उनके परिवार के सदस्यों को दी जाती है। परिवार में पति/पत्नी, आश्रित माता-पिता तथा 12 से 26 वर्ष तक की आयु के आश्रित बच्चे सम्मिलित हैं। टिकट पर जनरल रिज़र्व इंजीनियरिंग फोर्स के कर्मियों के पहचान-पत्र नं. तथा उनके आश्रितों के पहचान-पत्र नं. दर्शाए जाएंगे। इस छूट पर यात्रा कर रहे यात्रियों के पहचान-पत्र का सत्यापन बोर्डिंग प्वाइंट पर किया जाएगा।

3.	युद्ध में अशक्त हुए व्यक्तियों को प्राप्त छूट (YML75) बुकिंग श्रेणी "L" से "K"	अपने खर्च पर यात्रा कर रहे युद्ध में अशक्त हुए व्यक्तियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को 50% छूट ऑफर की जाती है। परिवार में पति/पत्नी, आश्रित माता-पिता तथा 12 से 26 वर्ष तक की आयु के आश्रित बच्चे सम्मिलित हैं। यात्रा पात्र यात्री के स्थायी पते/निवास स्थान के निकटतम एयरपोर्ट से आरंभ/समाप्त होनी चाहिए। टिकट पर युद्ध में अशक्त हुए व्यक्तियों के पहचान-पत्र नं. तथा उनके आश्रितों के पहचान-पत्र नं. दर्शाए जाएंगे। इस छूट पर यात्रा कर रहे यात्रियों के पहचान-पत्र का सत्यापन बोर्डिंग प्वाइंट पर किया जाएगा।
4.	युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं को प्राप्त छूट (WML75) बुकिंग श्रेणी "L" से "K"	अपने खर्च पर यात्रा कर रही युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं को 50% छूट ऑफर की जाती है। टिकट पर रक्षा मंत्रालय द्वारा युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं को जारी पहचान-पत्र नं. दर्शाया जाएगा तथा बोर्डिंग प्वाइंट पर सत्यापित किया जाएगा।
5.	वीरता पुरस्कार प्राप्त सशस्त्र सैन्य बलों के कर्मियों को प्राप्त छूट (लेवल I व II अर्थात् परमवीर चक्र तथा अशोक चक्र तथा महावीर चक्र/कीर्ति चक्र) (XML75) बुकिंग श्रेणी "L" से "K"	अपने खर्च पर यात्रा कर रहे वीरता पुरस्कार प्राप्त (लेवल I व II) सशस्त्र बलों के कार्यरत व भूतपूर्व कर्मियों को 50% छूट ऑफर की जाती है। टिकट पर सशस्त्र बलों के कर्मियों को जारी पहचान-पत्र नं. दर्शाया जाएगा तथा बोर्डिंग प्वाइंट पर सत्यापित किया जाएगा।

6.	अर्ध सैन्य बलों को प्राप्त छूट बीएसएफ/आईटीबीपी/सीआईएसएफ/ सीआरपीएफ/आरपीजी/एनएसजी/एसएसबी/कोस्ट गार्ड/असम राइफल्स / आईबी (PML50) बुकिंग श्रेणी “L” से “K”	अपने खर्च पर यात्रा कर रहे अर्ध सैन्य बलों के कार्यरत कर्मी तथा उनके परिवार के सदस्यों को 50% छूट ऑफर की जाती है। परिवार में पति/पत्नी, आश्रित माता-पिता तथा 12 से 26 वर्ष तक की आयु के आश्रित बच्चे सम्मिलित हैं। टिकट पर ऑफिशियल पहचान-पत्र नं. दर्शाया जाएगा तथा बोर्डिंग प्वाइंट पर सत्यापित किया जाएगा।
7.	पुलिस कर्मी - वीरता के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक और वीरता के लिए पुलिस पदक के विजेता (RPM75) बुकिंग श्रेणी “L” से “K”	वीरता पुरस्कार प्राप्त कार्यरत व भूतपूर्व पुलिस कर्मियों को सामान्य इकोनॉमी श्रेणी किराए में 50% छूट ऑफर की जाती है। टिकट पर गृह मंत्रालय द्वारा जारी पहचान-पत्र नं. दर्शाया जाएगा तथा बोर्डिंग प्वाइंट पर सत्यापित किया जाएगा।
8.	वीरता पुरस्कार विजेता - सिविलियन्स (GA75) बुकिंग श्रेणी “L” से “K”	'अशोक व कीर्ति चक्र' प्राप्त व्यक्तियों को सामान्य इकोनॉमी श्रेणी किराए में 50% छूट ऑफर की जाती है। टिकट पर गृह मंत्रालय द्वारा जारी पहचान-पत्र नं. दर्शाया जाएगा तथा बोर्डिंग प्वाइंट पर सत्यापित किया जाएगा।

9.	विद्यार्थियों को प्राप्त छूट (SD50) बुकिंग श्रेणी "L" से "K"	भारत में अध्ययन कर रहे भारतीय तथा विदेशी छात्रों को सामान्य इकोनॉमी श्रेणी किराया में 50% छूट ऑफर की जाती है। केवल अध्ययन के स्थान से होमटाउन के बीच अथवा वापसी यात्रा की अनुमति। निम्नलिखित स्थानों से प्रचालित उड़ानों पर यात्रा के लिए भी विद्यार्थी छूट की अनुमति दी जाती है: - उत्तर पूर्व के प्वाइंट्स से कोलकाता के लिए तथा वापसी - कोलकाता/चेन्नै-पोर्टब्लेयर अथवा वापसी - दिल्ली-लेह अथवा वापसी जब उक्त सेक्टर अध्ययन के स्थान तथा होमटाउन के बीच की यात्रा का ही भाग हों। शैक्षिक संस्थान के प्रमुख द्वारा सत्यापित विद्यार्थी छूट फार्म प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है।
10.	वरिष्ठ नागरिकों को प्राप्त छूट (SCD50) बुकिंग श्रेणी "L" से "K"	यात्रा आरंभ करने की तिथि को 63 वर्ष की आयु पूरी कर चुके भारत में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सामान्य इकोनॉमी श्रेणी किराए में 50% छूट ऑफर की जाती है। इस छूट के तहत टिकट जारी करने के लिए आयु तथा रेजीडेंट स्थिति का प्रमाण, दो फोटोग्राफ सहित वरिष्ठ नागरिक छूट फार्म अथवा एअर इंडिया द्वारा वरिष्ठ नागरिक को जारी पहचान-पत्र अपेक्षित होते हैं।

11.	दृष्टिहीन व्यक्तियों को प्राप्त छूट (BP50) बुकिंग श्रेणी “L” से “K”	भारतीयों तथा भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों को भारत के भीतर तथा भारत-नेपाल सेक्टरों की यात्रा के लिए सामान्य इकोनॉमी श्रेणी किराए में 50% छूट ऑफर की जाती है। आंखों के अस्पताल, दृष्टिहीनों के लिए केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान के प्रमुख अथवा चिकित्सक (कम से कम एमबीबीएस) द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है, जिसमें यह उल्लिखित हो कि व्यक्ति दोनों आंखों से पूर्ण रूप से दृष्टिहीन है।
12.	कैंसर रोगी को प्राप्त छूट (CP50) बुकिंग श्रेणी “L” से “K”	उपचार के लिए यात्रा कर रहे रोगियों को सामान्य सेक्टर किराए में 50% छूट (केवल निवास स्थान तथा उपचार स्थान के बीच यात्रा के लिए)। कैंसर संस्थान/अस्पताल द्वारा प्रमाणित फार्म प्रस्तुत करना अपेक्षित है। यदि कोई रोगी ऐसे स्थान जहां कैंसर अस्पताल/संस्थान नहीं है से पहली बार कैंसर के उपचार/जांच के लिए जा रहा है तो स्थानीय अस्पताल से जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। भारतीयों तथा भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों को भारत के भीतर तथा भारत-नेपाल सेक्टरों की यात्रा के लिए छूट ऑफर की जाती है।
13.	लोकोमोटर अक्षमता के लिए प्राप्त छूट (LD50) बुकिंग श्रेणी “L” से “K”	80% तथा उससे अधिक लोकोमोटर अक्षमता से पीड़ित दिव्यांग व्यक्तियों को सामान्य इकोनॉमी श्रेणी किराया में 50% छूट ऑफर की जाती है। सामान्यत: अशक्त व्यक्ति के निवास स्थान के पास के सरकारी अस्पताल द्वारा गठित बोर्ड या मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र जिसमें यह उल्लिखित हो कि व्यक्ति 80% अथवा उससे अधिक लोकोमोटर अक्षमता से पीड़ित है।

14.	स्ट्रेचर किराया - स्ट्रेचर पर अशक्त यात्रियों को विशेष किराया ऑफर किया जाता है। (SF4) बुकिंग श्रेणी “Y”	सीआरजे विमान को छोड़कर सभी प्रकार के विमान पर स्ट्रेचर के वहन के लिए सामान्य इकोनॉमी श्रेणी वयस्क किराए का चार गुना। सभी कर, शुल्क तथा प्रभार एक व्यक्ति के लिए प्रभारित किए जाएंगे। यात्री अथवा निकट संबंधी अथवा एस्कॉर्ट तथा साथ जा रहे चिकित्सक के हस्ताक्षर सहित यथोचित रूप से भरी गई शीट (एमईडीआईएफ) प्रस्तुत करनी अपेक्षित है।
15.	अर्जुन पुरस्कार विजेता को प्राप्त छूट (AA50) बुकिंग श्रेणी “L” से “K”	अर्जुन पुरस्कार विजेता को एक वित्तीय वर्ष अर्थात् 1 अप्रैल से 31 मार्च में सामान्य इकोनॉमी श्रेणी किराया में 50% छूट पर 6 वापसी यात्रा टिकटें ऑफर की जाती हैं। सबसे छोटे मार्ग द्वारा किसी भी स्टेशन से यात्रा आरंभ तथा किसी भी सिंगल गंतव्य पर समाप्त होने वाली यात्रा के लिए केवल घरेलू सेवाओं पर इकोनॉमी श्रेणी में एकतरफा तथा राउंड ट्रिप यात्रा अर्जुन पुरस्कार विजेता को प्रत्येक बार टिकट खरीदते समय अर्जुन पुरस्कार प्राप्त स्क्रॉल/प्रमाणपत्र की फोटोप्रति प्रस्तुत करनी अपेक्षित है। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त विजेता को एअर इंडिया का रियायत फार्म भरना भी अपेक्षित होता है। टिकटिंग केवल एअर इंडिया कार्यालयों से।